Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2026

Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2026 was passed by the Rajasthan Legislative Assembly by voice vote on , on 5 March. In response to the debate on the Bill, Suresh Singh Rawat, the Minister of Water Resources, added that the amendment would transform the commercial sector into being more job focused and competitive. He said that the framework of the amendment was made ready after consultations that had been conducted on 23 June 2025 with labour organisations, trade bodies, employers and other stakeholders. The proposed Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2026 will help to enhance the working condition of trade and commerce and safeguard labour rights. The government stated that the changes would increase productivity, work skills and more job opportunities.

Significant Amendments of the Amendment Bill.

- The number of working hours in commercial set-ups has been raised by 1 hour, whereby 9 hours has been raised to 10 hours.
- 48 hours of weekly working has been maintained.
- The number of hours of continuous working before a rest break has been raised by 1 hour, to 6 hours.
- At least half an hour of a break period is still included in the working arrangement.
- The lower limit of apprentices has been increased by 12 years to 14 years.

Protections against Childhood and Adolescence.

Child protection: This refers to the safeguarding of the rights of children (Kamala, 2014).

- The amendment states that no child under the age of 14 years should be hired in a shop or commercial place.
- Previously, this was 12 years old.
- This was a provision that has been made so that the right of children is safeguarded and linked to their education.

Restrictions on Night Work

- Children within the age group of 14 18 years are not allowed to work in commercial establishments below the night hours.
- Previously, the age limit which applied to this restriction was 12-15 years.

Foreseen Change in Business and Workforce.

Business Environment

- The government argued that the changes would assist them in creating a more favorable environment to trade and conduct commerce.
- The amendment will make the business world a competitive one.

The Employment and Productivity

- Employers can enjoy more employment creating opportunities.
- There might be improved pay and services to workers and employees.
- The government anticipates a rise in productivity and efficiency of work.

Rayden v. Feminist Underground Railroad, 2002.

- This is explained by the minister who indicated that there is no modification in the regulations about women working at night in commercial establishments.

Conclusion

Rajasthan Shops and Commercial Establishments amendment bill, 2026 is an effort to strike a balance between labour protection and commercial flexibility. As it increases the number of working hours daily and changes the work-rest regulations, it enhances the protection of children and adolescents. Exam-wise, the Bill is significant as it merges labour reforms, child rights protection, and changes related to employment in the commercial set-up in the state of Rajasthan.

MCQS (RAS Prelims)

1. What were the changes introduced under the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2026?

RASonly

(a) Hours of working per week were raised to 54 hours per week.

(b) The number of working hours in the commercial establishments was raised by 1 hour to 10 hours per day.

(c) minimum interval of rest was eliminated.

(d) There were no previous regulations and women were now permitted to work at night.

Answer: (b)

Explanation: The amendment Bill extended the number of hours in commercial establishments that were working per day in 9 hours to 10 hours. The weekly limit of working hours was, however, maintained at 48 hours. The minister also explained that there was no alteration in the regulations concerning women who work at night thus choice (b) would be the right one.

2. In relation to the child and adolescent labour provisions under the provision of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2026, take into consideration the following statements:

1. The age at which the apprentices are allowed has been raised to 14 years instead of 12 years.

2. Even children under the age of 14 years are not allowed to work in the commercial establishments in the daytime.

3. Individuals between the age of 14 and 18 years are not allowed to work in the evenings in commercial outlets.

Which one of the above-presented statements is correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

Answer: (c)

Explanation: Statement 1 is accurate since the amendment has increased the minimum apprentices age to 14 years, as compared to 12 years. Statement 2 is wrong since children who are under 14 years can not work in shops and commercial places at all. Statement 3 holds because the Bill prohibits night work among individuals of the 14 to 18 years of age group.

RASonly

3. The reason why the amendment was justified by the Rajasthan government primarily was that it would:

(a) Limiting the number of business outlets in cities.

(b) Repeal weekly wage provisions and substitute them with monthly wage provisions.

(c) Commercial sector should be made more competitive and employment-oriented and productivity enhanced.

(d) abolish the limitation on adolescent labour in trade and commerce.

Answer: (c)

Explanation: In the House of Assembly debate the government explained that the amendment would result in more employment-oriented and competitive commercial sector. It further contended that the changes would enhance productivity and work skills, better trading and commerce environment and more jobs would be created. Therefore, the option (c) reflects the stated objective of the Bill in the best way.

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026

राजस्थान विधानसभा ने 5 मार्च को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई बहस के उत्तर में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह संशोधन वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक रोजगार-केंद्रित और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन की रूपरेखा 23 जून 2025 को श्रमिक संगठनों, व्यापारिक निकायों, नियोजकों और अन्य हितधारकों के साथ की गई चर्चाओं के बाद तैयार की गई। प्रस्तावित राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 व्यापार और वाणिज्य की कार्य परिस्थितियों में सुधार करने तथा श्रम अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा। सरकार ने कहा कि इन परिवर्तनों से उत्पादकता, कार्य-कौशल और रोजगार के अधिक अवसर बढ़ेंगे।

संशोधन विधेयक के महत्वपूर्ण परिवर्तन

- वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य अवधि 1 घंटे बढ़ाई गई है, अर्थात 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दी गई है।
- साप्ताहिक कार्य अवधि 48 घंटे ही रखी गई है।
- विश्राम अवकाश से पहले लगातार कार्य करने की अवधि 1 घंटे बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है।
- कम से कम आधे घंटे का विश्राम अवकाश अभी भी कार्य व्यवस्था का हिस्सा है।
- प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।

RASonly

बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के विरुद्ध संरक्षण

बाल संरक्षण: यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है (कमला, 2014)।

संशोधन में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
पहले यह आयु 12 वर्ष थी।
यह प्रावधान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए किया गया है।

रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिबंध

- 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात्रि के समय काम करने की अनुमति नहीं है।
  पहले इस प्रतिबंध के लिए लागू आयु-सीमा 12 से 15 वर्ष थी।

व्यापार और कार्यबल में संभावित परिवर्तन

व्यावसायिक वातावरण

सरकार ने तर्क दिया कि ये परिवर्तन व्यापार और वाणिज्य के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होंगे।

- यह संशोधन व्यावसायिक जगत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

निजी क्षेत्र के उत्पादन का मापन बाजार में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या और उनकी उत्पादकता के स्तर से किया जाता है।<|human|>रोजगार और उत्पादकता वे कारक हैं जो निजी क्षेत्र की उत्पादकता को बाजार में व्यक्तियों की भागीदारी के आधार पर मापते हैं।

नियोजकों को अधिक रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
श्रमिकों और कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएँ मिल सकती हैं।

- सरकार कार्य की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि की अपेक्षा कर रही है।

रेडेन बनाम फेमिनिस्ट अंडरग्राउंड रेलरोड, 2002।

मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रात्रिकालीन कार्य से संबंधित नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

निष्कर्ष

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 श्रम संरक्षण और वाणिज्यिक लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास है। यद्यपि यह दैनिक कार्य घंटों में वृद्धि करता है और कार्य-विश्राम संबंधी नियमों में परिवर्तन लाता है, फिर भी यह बच्चों और किशोरों के संरक्षण को मजबूत करता है। परीक्षा की दृष्टि से यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्रम सुधार, बाल अधिकार संरक्षण तथा राजस्थान राज्य की वाणिज्यिक व्यवस्था में रोजगार संबंधी परिवर्तनों को एक साथ जोड़ता है।

RASonly

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा)

1. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत कौन-सा परिवर्तन किया गया?

(a) साप्ताहिक कार्य अवधि बढ़ाकर 54 घंटे कर दी गई।
(b) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्य अवधि 1 घंटा बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन कर दी गई।
(c) न्यूनतम विश्राम अंतराल समाप्त कर दिया गया।
(d) महिलाओं को अब पहली बार रात्रि में कार्य करने की अनुमति दी गई, जबकि पहले कोई नियम नहीं था।

उत्तर: (b)

व्याख्या: संशोधन विधेयक के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन कार्य की अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई। हालांकि, साप्ताहिक कार्य अवधि की सीमा 48 घंटे ही रखी गई। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रात्रि में कार्य करने वाली महिलाओं से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए विकल्प (b) सही है।

2. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत बाल एवं किशोर श्रम संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिन के समय भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात्रि के समय कार्य करने की अनुमति नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 सही है क्योंकि संशोधन द्वारा प्रशिक्षुओं की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। कथन 2 गलत है क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बिल्कुल भी काम पर नहीं रखा जा सकता। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिबंध लगाता है।

3. राजस्थान सरकार ने इस संशोधन को मुख्यतः इस आधार पर उचित ठहराया कि यह:

(a) शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या सीमित करेगा।
(b) साप्ताहिक वेतन संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर मासिक वेतन व्यवस्था लागू करेगा।
(c) वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और रोजगारोन्मुख बनाएगा तथा उत्पादकता बढ़ाएगा।
(d) व्यापार और वाणिज्य में किशोर श्रम पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर देगा।

उत्तर: (c)

RASonly

व्याख्या: विधानसभा में हुई बहस के दौरान सरकार ने कहा कि यह संशोधन वाणिज्यिक क्षेत्र को अधिक रोजगारोन्मुख और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि इन परिवर्तनों से उत्पादकता और कार्य-कौशल में वृद्धि होगी, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर वातावरण बनेगा, तथा अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसलिए विकल्प (c) इस विधेयक के घोषित उद्देश्य को सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है।

RASonly

Namoh Bharat Rail Corridor Plan and Rajasthan/Haryana Co-ordination of the RRTS Project.

On 5 March, a major video conference was conducted between Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas and Haryana Chief Secretary Anurag Rastogi between the Namoh Bharat Rail Corridor plan as part of the Regional Rapid Transit System (RRTS) project. At the meeting, Rajasthan said that it had already resolved to take up the first phase of the project on the terms of the revised DPR. Nonetheless, one of the major cost-sharing problems cropped up when Haryana agreed to contribute the project cost up to Babal. Rajasthan has asked Haryana to change its mind about this stance because the high-speed rail connectivity will have a direct impact on big industrialist regions like Shahjahanpur, Ghiloth, Neemrana and Behror.

The meeting consists of important developments which are outlined below.

- The session was convened using video conference in the Secretariat.
- Chief Secretary Rajasthan V. Srinivas brought out issues of the renegotiated project cost-sharing with Haryana.
- He had told the Haryana that Rajasthan was already willing to take the financial burden of the first phase as per the revised DPR.
- Rajasthan asked Haryana to rethink its move to cap the cost responsibility up to Babal only.

- Haryana Chief Secretary, Anurag Rastogi promised that a decision would be made shortly.

The Project has the following financial problem.

The Revised Cost Burden of Rajasthan.

- Under new DPR, in Rajasthan, the track development will be done on 1.13 kilometres.
- Cost was up by 103 crore by 124.26 crore.
- According to Rajasthan, when Haryana pays up to Babal, then another financial burden of 510 crore will be placed on Rajasthan.

Cost-sharing concern of the MoU.

- The participating states were supposed to contribute 20 percent of the individual share of the project cost according to the MoU.
- Rajasthan has made an objection that the current ruling upsets the agreed system of participation in finance.

Ancient Economic and Connectivity Benefits to be Expected.

Industrial Growth

- Industrial regions that will be directly benefited by the project will include Shahjahanpur, Ghiloth, Neemrana and Behror.
- Another benefit of the project will be the proposed KBNIR township.

High-Speed Connectivity

- These localities will have direct connectivity with high-speed rail to Delhi and Gurugram.
- The passageway project is likely to create a significant shift in transport, travel, and accessibility of the area.

Regional Development

- The project will most probably boost the economic growth in the region.
- There can be enhanced transport connectivity that will enhance industrial growth and investment potential.

Members of the official body attending the meeting were as follows:

The meeting was attended by:

- Shikhar Agrawal, additional Chief Secretary, Industries and Commerce.
- Vaibhav Galaria, Principal Secretary, Finance.

RASonly

- Urban Development Principal Secretary Urban Development, Devashish Prushti.
- Shivangi Swarnkar is the RIICO Managing Director.
- Akash Tomar is the Executive Director of RIICO.
- Ajay Gupta is the topmost RIICO officer.

Conclusion

The Namoh Bharat Rail Corridor debate narrates the strategic worth and the economic intricacy of the rapid transit projects in the region. In the case of Rajasthan, the project will not only make transport connectivity essential but also the growth of industries in the major areas around Delhi-NCR. Examination wise, the significance of this development is that inter-state coordination, infrastructure financing, industrial development and regional economic integration is linked.

MCQS (RAS Prelims)

1. What was the main issue that was discussed during the meeting between the Chief Secretaries of Rajasthan and Haryana about the Namoh Bharat Rail Corridor plan?

(a) Station naming in Delhi and Gurugram: Finalisation of station names.

(b) KBNIR township acquisition of land only.

(c) Financing and expense sharing in the RRTS project.

(d) Sealing of industrial estates in Neemrana and Behror.

Answer: (c)

Explanation: The financial burden and cost-sharing arrangement of the RRTS project was the primary issue discussed during the meeting. As per the revised DPR, Rajasthan claimed that it had already committed to shoulder the financial cost of the 1st phase. The move by Haryana however to accept the cost as far as Babal would be would add extra burden of Rs 510 crore to Rajasthan which sought revisions.

2. What were the specific industrial regions that were identified as receiving direct high-speed rail connections under the proposed project?

(a) Kota, Bundi, Baran and Jhalawar.

(b) Shahjahanpur, Ghiloth, Neemrana, and Behror.

(c) Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand and Bhilwara.

(d) Sikar, Jhunjhunu, Churu, and Hanumangarh district.

Answer: (b)

RASonly

Explanation: The industrial belt that includes Shahjahanpur, Ghiloth, Neemrana, and Behror is likely to directly be positively impacted by the project. The proposed KBNIR township, as well as these areas, is likely to be directly connected to high-speed rail with Delhi and Gurugram. This is important as a better transport accessibility will be able to facilitate industrial development, labor movement, and broader regional economic growth.

3. Based on how Rajasthan had been placed at the meeting, what was the impression of the participating states under the MoU?

(a) The full cost of the project would be incurred by each state in its territory.

(b) Participating states would have 20 percent of their share in the project cost.

(c) The Union Government would cover the whole cost of the project

(d) Haryana would only fund the entire corridor to the industrial areas of Rajasthan.

Answer: (b)

Explanation In the MoU, Rajasthan indicated that the cost of the project was supposed to be divided between the participating states in 20 percent of their respective share. Rajasthan protested against Haryana decision to only limit its cost liability to Babal since this will deficit a more heavy burden on Rajasthan. This causes the problem to be a significant model of inter-state coordination of infrastructure financing.

RASonly

नमो भारत रेल गलियारा योजना तथा आरआरटीएस परियोजना में राजस्थान-हरियाणा समन्वय।

5 मार्च को नमो भारत रेल गलियारा योजना के संबंध में, जो क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) परियोजना का हिस्सा है, राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान ने कहा कि उसने पहले ही संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की शर्तों के अनुसार परियोजना के प्रथम चरण का वित्तीय भार वहन करने का निर्णय ले लिया है। इसके बावजूद, एक प्रमुख लागत-साझेदारी समस्या तब सामने आई जब हरियाणा ने केवल बाबल तक परियोजना लागत वहन करने पर सहमति दी। राजस्थान ने हरियाणा से इस रुख पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि यह उच्चगति रेल संपर्क शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा और बहरोड़ जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा।

बैठक के मुख्य बिंदु

बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आईं:

- बैठक शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई।
- राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने हरियाणा के साथ संशोधित परियोजना लागत-साझेदारी का मुद्दा उठाया।
- उन्होंने हरियाणा को बताया कि राजस्थान पहले ही संशोधित डीपीआर के अनुसार प्रथम चरण का वित्तीय भार वहन करने के लिए तैयार है।
- राजस्थान ने हरियाणा से यह आग्रह किया कि वह अपनी लागत जिम्मेदारी केवल बाबल तक सीमित रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करे।
- हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही निर्णय से अवगत कराया जाएगा।

परियोजना से जुड़ा वित्तीय प्रश्न

राजस्थान पर संशोधित लागत भार

- नए डीपीआर के अनुसार राजस्थान में 1.13 किलोमीटर ट्रैक का विकास किया जाएगा।
- लागत 103 करोड़ रुपये से बढ़कर 124.26 करोड़ रुपये हो गई।
- राजस्थान के अनुसार, यदि हरियाणा केवल बाबल तक लागत वहन करता है, तो राजस्थान पर अतिरिक्त 510 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

समझौता ज्ञापन से जुड़ी लागत-साझेदारी चिंता

- समझौता ज्ञापन के अनुसार, सहभागी राज्यों को परियोजना लागत में अपने-अपने हिस्से का 20 प्रतिशत वहन करना था।
- राजस्थान ने आपत्ति जताई कि वर्तमान निर्णय वित्तीय सहभागिता की सहमति-आधारित व्यवस्था को प्रभावित करता है।

संभावित आर्थिक और संपर्क लाभ

औद्योगिक विकास

- इस परियोजना से शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा और बहरोड़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र सीधे लाभान्वित होंगे।
- प्रस्तावित केबीएनआईआर टाउनशिप को भी इस परियोजना से लाभ मिलेगा।

उच्चगति संपर्क

- इन क्षेत्रों को दिल्ली और गुरुग्राम से सीधे उच्चगति रेल संपर्क मिलेगा।
- यह गलियारा परिवहन, आवागमन और क्षेत्रीय पहुंच में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है।

RASonly

क्षेत्रीय विकास

- यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को तेज कर सकती है।
- बेहतर परिवहन संपर्क से औद्योगिक विस्तार और निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, शिखर अग्रवाल
- प्रमुख शासन सचिव, वित्त, वैभव गालरिया
- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, देवाशीष पृष्ठि
- रीको की प्रबंध निदेशक, शिवांगी स्वर्णकार
- रीको के अधिशासी निदेशक, आकाश तोमर
- रीको के वरिष्ठ अधिकारी, अजय गुप्ता

निष्कर्ष

नमो भारत रेल गलियारा पर हुई चर्चा क्षेत्रीय तीव्र परिवहन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व और उनकी वित्तीय जटिलता दोनों को सामने लाती है। राजस्थान के लिए यह परियोजना केवल परिवहन संपर्क का प्रश्न नहीं है, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के निकट स्थित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से भी जुड़ी हुई है। परीक्षा की दृष्टि से यह विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय, अवसंरचना वित्तपोषण, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जैसे विषय एक साथ जुड़े हुए हैं।

1. नमो भारत रेल गलियारा योजना के संबंध में राजस्थान और हरियाणा के मुख्य सचिवों के बीच हुई बैठक में मुख्य मुद्दा क्या था?
(a) दिल्ली और गुरुग्राम में स्टेशनों के नामों का अंतिम निर्धारण
(b)केवल केबीएनआईआर टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण
(c)आरआरटीएस परियोजना में वित्तपोषण और लागत-साझेदारी
(d)नीमराणा और बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्रों को बंद करना

उत्तर: (c)

व्याख्या: बैठक का मुख्य मुद्दा आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय भार और लागत-साझेदारी की व्यवस्था था। राजस्थान ने कहा कि संशोधित डीपीआर के अनुसार वह पहले ही प्रथम चरण का वित्तीय भार वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन हरियाणा द्वारा केवल बाबल तक लागत वहन करने का निर्णय लेने से राजस्थान पर 510 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, इसलिए राजस्थान ने पुनर्विचार की मांग की।

2. प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत किन औद्योगिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष उच्चगति रेल संपर्क मिलने की बात कही गई थी?
(a) कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़
(b)शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा और बहरोड़

RASonly

(c)उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा
(d)सीकर, झुंझुनूं, चूरू और हनुमानगढ़

उत्तर: (b)

व्याख्या: इस परियोजना से शाहजहांपुर, घीलोठ, नीमराणा और बहरोड़ वाला औद्योगिक पट्टा सीधे लाभान्वित होने वाला है। इन क्षेत्रों के साथ प्रस्तावित केबीएनआईआर टाउनशिप को भी दिल्ली और गुरुग्राम से उच्चगति रेल संपर्क मिलने की संभावना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बेहतर परिवहन संपर्क औद्योगिक विकास, श्रमिकों की आवाजाही और व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि को गति दे सकता है।

3. बैठक में राजस्थान के पक्ष के अनुसार, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहभागी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था थी?
(a) प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में परियोजना की पूरी लागत वहन करेगा
(b)सहभागी राज्य परियोजना लागत में अपने-अपने हिस्से का 20 प्रतिशत वहन करेंगे
(c)संपूर्ण परियोजना लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी
(d)हरियाणा अकेले राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों तक पूरे गलियारे की लागत वहन करेगा

उत्तर: (b)

व्याख्या: राजस्थान ने स्पष्ट किया कि समझौता ज्ञापन के अनुसार सहभागी राज्यों को परियोजना लागत में अपने-अपने हिस्से का 20 प्रतिशत वहन करना था। राजस्थान ने हरियाणा के उस निर्णय पर आपत्ति जताई जिसमें उसकी लागत जिम्मेदारी को केवल बाबल तक सीमित किया गया, क्योंकि इससे राजस्थान पर अधिक वित्तीय भार पड़ता। इस कारण यह मामला अवसंरचना वित्तपोषण में अंतर्राज्यीय समन्वय का महत्वपूर्ण उदाहरण बन जाता है।

RASonly

Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026.

On 5 March, the Legislative Assembly passed the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 by voice vote. Once the Governor consents and is published in the Gazette, it will be used to replace the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025. In response to the debate, Parliamentary Affairs Minister Jogaram Patel told lawmakers that the Bill represents one of the key reforms in administration which is aimed at helping establish a stronger level of trust among people without diminishing or enhancing the judicial or executive authority. According to the government, the move would facilitate ease of living and ease of doing business since imprisonment of minor and technical violations would be replaced with monetary penalties, although tough penalties would continue to be applied to repeat offenders and other serious offends.

Why the Bill Was Brought

The burden of minor criminalisation should be reduced to ensure that such offenders are dealt with more effectively.

- The government thought that the previous laws would carry criminal sanctions, such as imprisonment, even on minor offenses or technical offences.
- This resulted in over litigation and pressure on the judicial system.
- Such provisions were causing unwarranted legal challenges upon ordinary citizens, businesspersons and other stakeholders.

Main Features of the Bill

The model involves substituting Imprisonment with Monetary Sanctions.

- There are a number of instances where jails have been substituted by fines.
- The government claimed that this would help to simplify needless legal complications among the citizens.
- The Bill seeks to streamline the administrative procedures and promote compliance by administering civil penalties, instead of criminal prosecution, in petty cases.
- The policy facilitates the creation and backing of investment and entrepreneurship activities in the country.
- According to the minister, the Bill would drive investment and entrepreneurship in the state.
- It is also likely to streamline the processes of regulation.
- Ease of living and ease of doing business were the two issues associated by the government with the Bill.

Law Not Being Weakened

- Therefore, the minister explained that the Bill does not undermine the law.
- He said that he was not eliminating serious offences.
- The Bill also stipulates that there is severe punishment where there are repeat offences.

Laws Amended Under the Bill

The Bill proposes some changes in the laws of the following laws:

- Rajasthan Forest Act, 1953
- Rajasthan Abidhriti Act, 1955
- Rajasthan Warehousing Act, 1958
- State Aid to Industries: Rajasthan State Aid to industries Act, 1961.
- The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962.
- Rajasthan Money-Lenders Act, 1963
- Rajasthan Non- Government Educational Institutions Act, 1989.
- Rajasthan Stamp Act, 1998
- Municipalities Rajasthan Municipalities Act, 2009.
- Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018.

RASonly

Certain Changes in penalties specified.

Storage Without Licence

- Until the repeal of the Rajasthan Warehousing Act, 1958, the alternative punishment of imprisonment up to one year and a fine up to 1,000 rupees was provided in the event of storage without the requisite licence under the previous Act.
- In this situation, the amendment eliminates incarceration.
- The fine has been increased to a maximum of 50,000.

Non-Domestic Domestic Water Interconnection of Domestic drinking water.

- Previous domestic drinking water connection that was not used in a domestic purpose resulted in up to one-year imprisonment.
- The amendment does away with the imprisonment provision.
- Thus, a financial penalty has been offered with a minimum of 200 per day and a maximum of 1,000 per day.

Related Legislative Signal

Suggestion Law to protect Khejri.

- Khejri protection will be brought in the Assembly by the minister.
- The issue is being examined by legal experts.
- The proposed law will have the most severe penalty according to the government in accordance with the sentiments of environmentalists.

Conclusion

An administrative change, which is significant and is likely to shorten the list of criminalised minor offences and increase trust between the state and citizens, is the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026. The Bill is meaningful to examine, in that it incorporates governments reform, legal simplification, ease of doing business, and balanced punishment in one piece of legislation.

MCQS (RAS Prelims)

1. What is the overall administrative strategy under the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026?

(a) Increasing the number of charges on all regulatory violations.

(b) Minimization of judicial authority regarding administrative affairs.

(c) Monetary fines in most instances to replace a jail term in non-violent minor offenses.

RASonly

(d) Devolution of all the executive executive powers to the judiciary.

Answer: (c)

Explanation : The Bill was introduced as a reform legislation that would cut down on avoidable criminalisation in case of less serious offences and technical failures. The government stated that the previous provisions placed undue litigation and suffering to citizens and businesses. Thus, in a number of such cases, the Bill substitutes incarceration with financial fines, although it does not feel lenient towards habitual and serious crimes.

2. Which of the following laws was it specifically that were amended by the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026?

(a) Cooperative Societies Act, 2001 Rajasthan.

(b) Rajasthan Warehousing Act, 1958

(c) Rajasthan Excise Act, 1950

(d) Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Answer: (b)

Explanation :`The Bill makes changes to the provisions of various state acts, and among the various laws that are specifically listed, there is the Rajasthan Warehousing Act, 1958. Another physical example provided in the article of this Act was a penalty of storage without a licence which was originally imprisonment and a fine but it has been revised in the Act to attract a higher monetary penalty. This is what makes option (b) the right choice.

3. What was the amendment under the storage without licence under the Rajasthan Warehousing Act, 1958 under the amendment?

(a) Three year imprisonment was raised to one year imprisonment.

(b) The law was completely removed of the offence.

(c) The penalty was raised to up to 50000 and imprisonment was eliminated.

(d) No penalty was added but a warning was provided.

Answer: (c)

Explanation The storage in the absence of a licence as per the Rajasthan Warehousing Act, 1958 could attract a maximum imprisonment period of one year and a fine amount of Rs 1,000 or both. The amendment eliminates the imprisonment clause and instead makes the punishment up to 50,000 or higher. This is an indication of the larger goal of the Bill to substitute jail sentences on minor regulatory infractions with fines.

RASonly

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

5 मार्च को विधानसभा ने राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 का स्थान लेगा। चर्चा के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधायकों से कहा कि यह विधेयक प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है, बिना न्यायपालिका या कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को घटाए या बढ़ाए। सरकार के अनुसार यह कदम सुगम जीवन और सुगम व्यवसाय को बढ़ावा देगा, क्योंकि छोटे और तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास के स्थान पर धनदंड का प्रावधान किया जाएगा, जबकि बार-बार अपराध करने वालों और गंभीर अपराधों पर कठोर दंड जारी रहेगा।

यह विधेयक क्यों लाया गया

छोटे अपराधों के अपराधीकरण का बोझ कम करना

सरकार का मत था कि पहले के कानूनों में छोटे अपराधों या तकनीकी त्रुटियों के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक सजाओं का प्रावधान था।

- इससे अत्यधिक वाद-विवाद और न्यायिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ा।
- ऐसे प्रावधानों के कारण सामान्य नागरिकों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को अनावश्यक कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

विश्वास-आधारित शासन की ओर परिवर्तन

- सरकार ने इस विधेयक को राजस्थान में विश्वास-आधारित शासन स्थापित करने की दिशा में एक कदम बताया।
- मंत्री के अनुसार, इस विधेयक से प्रशासन के प्रति जनविश्वास बढ़ेगा।
- इसे औपनिवेशिक प्रकार के शासन के विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

कारावास के स्थान पर धनदंड

- अनेक मामलों में कारावास के प्रावधानों को हटाकर धनदंड का प्रावधान किया गया है।
- सरकार ने कहा कि इससे नागरिकों के लिए अनावश्यक कानूनी जटिलताएँ कम होंगी।
- विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और छोटे मामलों में आपराधिक अभियोजन के स्थान पर नागरिक दंड के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देना है।

निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा

- मंत्री के अनुसार, यह विधेयक राज्य में निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा।
- इससे विनियामक प्रक्रियाएँ भी अधिक सरल होंगी।

RASonly

- सरकार ने इस विधेयक को सुगम जीवन और सुगम व्यवसाय दोनों से जोड़ा।

कानून कमजोर नहीं होगा

- मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक कानून को कमजोर नहीं करता है।
- उन्होंने कहा कि इससे गंभीर अपराध समाप्त नहीं किए जा रहे हैं।
- विधेयक में बार-बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है।

विधेयक के अंतर्गत जिन कानूनों में संशोधन किया गया

यह विधेयक निम्नलिखित कानूनों के उपबंधों में संशोधन करता है:

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953
- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955
- राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956
- राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958
- राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961
- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962
- राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963
- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
- जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018

दंड में किए गए कुछ विशिष्ट परिवर्तन

बिना लाइसेंस भंडारण

राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पहले बिना आवश्यक लाइसेंस के भंडारण करने पर एक वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान था।

- इस स्थिति में संशोधन द्वारा कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है।
- जुर्माने की राशि बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपये कर दी गई है।

घरेलू पेयजल संयोजन का गैर-घरेलू उपयोग

पहले घरेलू पेयजल संयोजन का गैर-घरेलू प्रयोजन में उपयोग करने पर एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान था।

- संशोधन द्वारा कारावास के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

RASonly

- इसके स्थान पर प्रतिदिन न्यूनतम 200 रुपये और अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिदिन का धनदंड निर्धारित किया गया है।

संबंधित विधायी संकेत

खेजड़ी संरक्षण के लिए प्रस्तावित कानून

- मंत्री ने कहा कि खेजड़ी संरक्षण के लिए विधानसभा में कानून लाया जाएगा।
- इस विषय का अध्ययन विधि विशेषज्ञ कर रहे हैं।
- सरकार के अनुसार पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुरूप प्रस्तावित कानून में अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान होगा।

निष्कर्ष

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है, जिसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम करना और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ाना है। परीक्षा की दृष्टि से यह विधेयक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शासन सुधार, विधिक सरलीकरण, सुगम व्यवसाय और संतुलित दंड व्यवस्था को एक ही विधायी ढाँचे में समाहित करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा)

1. राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत समग्र प्रशासनिक रणनीति क्या है?
(a) सभी नियामकीय उल्लंघनों पर आरोपों की संख्या बढ़ाना।
(b) प्रशासनिक मामलों में न्यायिक अधिकार को कम करना।
(c) छोटे और अहिंसक उल्लंघनों के अधिकांश मामलों में कारावास के स्थान पर धनदंड लागू करना।
(d) कार्यपालिका की सभी शक्तियों का न्यायपालिका को हस्तांतरण।

उत्तर: (c)

व्याख्या: यह विधेयक एक सुधारात्मक कानून के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों और तकनीकी त्रुटियों के मामलों में अनावश्यक अपराधीकरण को कम करना है। सरकार का कहना था कि पहले के प्रावधानों से नागरिकों और व्यापारियों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी और कठिनाइयाँ बढ़ती थीं। इसलिए अनेक मामलों में यह विधेयक कारावास के स्थान पर धनदंड का प्रावधान करता है, जबकि आदतन और गंभीर अपराधों पर कठोरता बरकरार रखता है।

2. निम्नलिखित में से किस कानून में विशेष रूप से राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 द्वारा संशोधन किया गया?
(a) राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2001
(b) राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958
(c) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
(d) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

उत्तर: (b)

RASonly

व्याख्या: यह विधेयक अनेक राज्य कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करता है, और उनमें राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 भी शामिल है। इसी अधिनियम का एक ठोस उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें बिना लाइसेंस भंडारण पर पहले कारावास और कम जुर्माने का प्रावधान था, जिसे बदलकर अधिक धनदंड का प्रावधान किया गया। इसलिए विकल्प (b)सही है।

3. राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत बिना लाइसेंस भंडारण के संबंध में संशोधन क्या किया गया?

(a) एक वर्ष के कारावास को बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
(b) अपराध को कानून से पूरी तरह हटा दिया गया।
(c) कारावास हटा दिया गया और दंड राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी गई।
(d) कोई दंड नहीं रखा गया, केवल चेतावनी का प्रावधान किया गया।

उत्तर: (c)

व्याख्या: राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पहले बिना लाइसेंस भंडारण करने पर एक वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते थे। संशोधन द्वारा कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है और उसके स्थान पर दंड राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दी गई है। यह इस विधेयक के व्यापक उद्देश्य को दर्शाता है, जिसमें छोटे विनियामक उल्लंघनों पर जेल की सजा के स्थान पर धनदंड को प्राथमिकता दी गई है।

Rajasthan scoops two bronze medals in 46th Sub Junior National Volleyball Championship.

The volleyball sport also saw a significant move in Rajasthan with the boys, and girls teams of the state winning bronze medals in the 46th Sub Junior National Boys and Girls Volleyball Championship. The show was an indication of the increasing

popularity of volleyball in the state and the importance of a systematic training. Rajasthan also lost to Uttarakhand by 3 goals to 1 to take the third place in the boys category, and lost to Haryana 3 goals to 0 to win the bronze medal in the girls category. The officials of the Rajasthan Volleyball Association added that they had gotten to the finals through their hard work, coordination, and proper training. It was on the basis of a training camp held between 15 February to 21 February that the final team selection was done at the Residential Academy at the SMS Stadium.

The performance of Rajasthan in the Championship.

Boys' Category

- The boys team of Rajasthan was the winner of the bronze medal.
- Uttarakhand lost to the team 3-1.
- This win made Rajasthan to be ranked third in the final.

Girls' Category

- The girls team of Rajasthan also won the bronze medal.
- The team defeated Haryana by 3-0.
- The result of this performance saw Rajasthan perform a double-bronze in the championship.

The role of training and preparation of the budget is to guarantee that the budget is prepared in advance and budgetary drugs are obtained on time before the budget year ends.

Before the final selection, the training camp will be organized.

- The ultimate process of selecting the players was done based on a training camp.
- The camp was held between 15 February and 21 February.
- It was hosted at the Residential Academy at the SMS stadium.

Leadership of the Teams

- The team of the boys was headed by captain Nikhil Kumar.
- Anit Jat, an international player and captain, headed the team of girls.

Rajasthan Volleyball Association responded to the invitation sent through email.

- The players, coaches and managers of the two teams were congratulated by the president of Rajasthan Volleyball Association Ramanand Chaudhary and the general secretary Arjun Singh.
- They claimed that success was a result of the hard work and more training of players.

RASonly

- General Secretary reported that the players were very coordinated and committed in the competition.
- He also gave confidence that preparations in Rajasthan would still achieve medals in national level in future.

Bigger Impact on Rajasthan Volleyball.

- The recent victory contributes to the good trend in volleyball in Rajasthan.
- It was also mentioned that this year, in the 72th Senior National Volleyball Championships in Varanasi, Rajasthan, the women team had won a bronze medal, the first time in 72 years.
- This means that the state is making consistent advancements on the competitions of volleyball at the national level.

Conclusion

Another notable sporting success by the state is the double bronze of Rajasthan in 46th Sub Junior National Volleyball Championship. It demonstrates the effect of designed training, successful team selection, and organised play. As an examination point of view, this development is pertinent in that it shows how Rajasthan is improving with regard to their national sporting activities and how sports institutions are enhancing the young talent.

MCQS (RAS Prelims)

1. In the 46th Sub Junior National Boys and Girls Volleyball championship, Rajasthan secured which of the following?

(a) Gold medal in boys category and silver medal in girls category.

(b) Bronze medal in boys and girls categories.

(c) Silver all-boys and all-girls.

(d) Gold medals in the boys and girls category.

Answer: (b)

Explanation: Rajasthan did well in both parts of the 46 th Sub Junior National Volleyball Championship and won the bronze medals in both the boys and girls categories. This rendered the performance noteworthy to the state, because both the teams made it to the medal stage itself and also secured the podium at the end of the tournament.

2. Which of the following is a correct match to the bronze-medals that Rajasthan won in the championship?

(a) Boys 3-0 Haryana; Girls 3-1 Uttarakhand.

RASonly

(b) Boys defeated Uttarakhand 3-1; Girls defeated Haryana 3-0.

(c) Boys 3-0 Uttarakhand; Girls 3-1 Haryana.

(d) Boys won over Punjab by 3 goals to 1 and Girls won over Haryana by 3 goals to 2.

Answer: (b)

Explanation: Rajasthan beat Uttarakhand 3-1 in the category of boys to win the third place. Rajasthan won 3-0 to beat Haryana and claim a bronze medal in the girls category. A combination of these two gave Rajasthan bronze medals in both categories and was a successful campaign by the state.

3. Based on what training procedure did the eventual choice of the players of Rajasthan to the championship?

(a) January, a district-level camp in Jaipur.

(b) In March, a state camp was organised in Udaipur.

(c) A training camp, 15 February-21 February, at the Residential Academy in SMS Stadium.

(d) An national camp by the Volleyball Federation of India in Delhi.

Answer: (c)

Explanation The decision to select final players of Rajasthan was taken as a result of the training camp conducted between 15 February and 21 February at Residential Academy, SMS stadium. This fact matters as it indicates that the performance in which the medals were taken was associated with the systematic selection, the planned preparation, and organised training before the national championship.

46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में राजस्थान ने दो कांस्य पदक जीते।

वॉलीबॉल के क्षेत्र में राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमों ने 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीते। यह प्रदर्शन राज्य में वॉलीबॉल की बढ़ती मजबूती और व्यवस्थित प्रशिक्षण के महत्व को दर्शाता है। बालक वर्ग में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग में हरियाणा को 3-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, तालमेल और उचित प्रशिक्षण का परिणाम है। अंतिम टीम चयन 15 फरवरी से 21 फरवरी तक एमएमएस स्टेडियम स्थित आवासीय अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के आधार पर किया गया था।

RASonly

चैम्पियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन

बालक वर्ग

- राजस्थान की बालक टीम ने कांस्य पदक जीता।
- टीम ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया।
- इस जीत के साथ राजस्थान ने चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

बालिका वर्ग

- राजस्थान की बालिका टीम ने भी कांस्य पदक जीता।
- टीम ने हरियाणा को 3-0 से हराया।
- इस प्रदर्शन के साथ राजस्थान ने चैम्पियनशिप में दोहरे कांस्य पदक का गौरव प्राप्त किया।

प्रशिक्षण और तैयारी की भूमिका

अंतिम चयन से पूर्व प्रशिक्षण शिविर

- खिलाड़ियों का अंतिम चयन एक प्रशिक्षण शिविर के आधार पर किया गया।
- यह शिविर 15 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित हुआ।
- शिविर एमएमएस स्टेडियम स्थित आवासीय अकादमी में आयोजित किया गया।

टीमों का नेतृत्व

- बालक टीम का नेतृत्व कप्तान निखिल कुमार ने किया।
- बालिका टीम का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और कप्तान अनीत जाट ने किया।

राजस्थान वॉलीबॉल संघ की प्रतिक्रिया

- राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष रामानंद चौधरी और महासचिव अर्जुन सिंह ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रबंधकों को बधाई दी।
- उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर प्रशिक्षण का परिणाम है।
- महासचिव ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट तालमेल और समर्पण का प्रदर्शन किया।
- उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान की टीमें भविष्य में भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतती रहेंगी।

राजस्थान वॉलीबॉल के लिए व्यापक महत्व

- यह सफलता राजस्थान में वॉलीबॉल के लिए सकारात्मक प्रगति को और मजबूत करती है।
- यह भी उल्लेख किया गया कि इसी वर्ष वाराणसी में आयोजित 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने 72 वर्षों में पहली बार कांस्य पदक जीता था।

RASonly

- इससे स्पष्ट होता है कि राज्य राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में लगातार प्रगति कर रहा है।

निष्कर्ष

46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में राजस्थान का दोहरा कांस्य पदक राज्य के लिए एक उल्लेखनीय खेल उपलब्धि है। यह नियोजित प्रशिक्षण, सफल टीम चयन और संगठित खेल प्रदर्शन के प्रभाव को दर्शाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजस्थान के राष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतर होते प्रदर्शन और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में खेल संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा)

1. 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बालक एवं बालिका वॉलीबॉल चैम्पियनशिप में राजस्थान ने निम्नलिखित में से क्या प्राप्त किया?

(a) बालक वर्ग में स्वर्ण पदक और बालिका वर्ग में रजत पदक
(b) बालक और बालिका दोनों वर्गों में कांस्य पदक
(c) बालक और बालिका दोनों वर्गों में रजत पदक
(d) बालक और बालिका दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक

उत्तर: (b)

व्याख्या: राजस्थान ने 46वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैम्पियनशिप के दोनों वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बालक तथा बालिका दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीते। इससे यह उपलब्धि राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि दोनों टीमों ने पदक चरण तक पहुँचकर प्रतियोगिता का समापन विजयी मंच पर किया।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प चैम्पियनशिप में राजस्थान की कांस्य पदक जीत से सही रूप से मेल खाता है?

(a) बालक टीम ने हरियाणा को 3-0 से हराया; बालिका टीम ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया
(b)बालक टीम ने उत्तराखंड को 3-1 से हराया; बालिका टीम ने हरियाणा को 3-0 से हराया
(c)बालक टीम ने उत्तराखंड को 3-0 से हराया; बालिका टीम ने हरियाणा को 3-1 से हराया
(d)बालक टीम ने पंजाब को 3-1 से हराया; बालिका टीम ने हरियाणा को 3-2 से हराया

उत्तर: (b)

व्याख्या: बालक वर्ग में राजस्थान ने उत्तराखंड को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में राजस्थान ने हरियाणा को 3-0 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। इन दोनों परिणामों ने मिलकर राजस्थान को दोनों वर्गों में कांस्य पदक दिलाए और यह राज्य के लिए एक सफल अभियान सिद्ध हुआ।

3. चैम्पियनशिप के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों का अंतिम चयन किस प्रशिक्षण प्रक्रिया के आधार पर किया गया था?

(a) जनवरी में जयपुर में आयोजित जिला स्तरीय शिविर
(b) मार्च में उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय शिविर
(c)15 फरवरी से 21 फरवरी तक एसएमएस स्टेडियम स्थित आवासीय अकादमी में आयोजित

RASonly

प्रशिक्षण शिविर
(d) दिल्ली में वॉलीबॉल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिविर

उत्तर: (c)

व्याख्या: राजस्थान के खिलाड़ियों का अंतिम चयन 15 फरवरी से 21 फरवरी तक एमएमएस स्टेडियम स्थित आवासीय अकादमी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के आधार पर किया गया था। यह तथ्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि पदक जीतने वाला प्रदर्शन योजनाबद्ध तैयारी, व्यवस्थित चयन प्रक्रिया और राष्ट्रीय चैम्पियनशिप से पहले संगठित प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ था।

RASonly